

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सी०सी०ए० (जिला बदर) वाद संख्या-65/2023

राज्य बनाम् संजीत डोम उर्फ सुजीत राम

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

11/01/24

-:: आदेश ::-

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ का ज्ञापांक-336/डी०सी०बी०, दिनांक-13.07.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी संजीत डोम उर्फ सुजीत राम, पे०-स्व० अर्जुन डोम, सा०-बुधबाजार, थाना-पतरातू (भुरकुण्डा), जिला-रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 के अध्याय-02 की धारा-3(3) के तहत जिला निष्कासन करने से संबंधित प्रस्ताव अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। अभियुक्त को उनका पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। लेकिन नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना।

उपरोक्त के आलोक में इस न्यायालय के सम्मुख तीन मुख्य विचारणीय प्रश्न हैं।

1. क्या झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 3(1) (a) के आलोक में विपक्षी असामाजिक तत्व है?
2. क्या झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 3(1)(b)(i) अथवा 3(1)(b)(ii) की शर्तें पूरी हो रही है?
3. क्या विपक्षी को जिला बदर का आदेश देने का reasonable ground है?

Sec 3. Externment etc. of anti- social elements. -

(1) Where it appears to the District Magistrate that-

(a) Any person is an anti-social element; and

(b) (i) that his movements or acts in the district or any part thereof are causing or calculated to cause alarm, danger or harm to persons or property; or

(ii) that there are reasonable grounds for believing that he is engaged or about to engage, in the district or any part thereof, in the commission of any offence punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code, or under the Suppression of

Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 or
abetment of such offence;

अभियुक्त व्यावसायियों, उद्यमियों, संवेदकों, दुकानदारों आदि से रंगदारी माँग एवं अवैध पिस्तौल रखने हेतु जैसे गंभीर काण्डों में आरोपित रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराधिक इतिहास करने जैसे गंभीर काण्डों में आरोपित रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. पतरातू (भुरकुण्डा) थाना काण्ड संख्या-180/2008, दिनांक-28.09.2008 धारा-461/379/511 भा०द०वि०।
2. पतरातू (भुरकुण्डा) थाना काण्ड संख्या-155/2009, दिनांक-16.07.2009 धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।
3. पतरातू (भुरकुण्डा) थाना काण्ड संख्या-318/2019, दिनांक-30.11.2019 धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट
4. रामगढ़ थाना काण्ड संख्या-253/2019, दिनांक-28.09.2019 धारा-385/387 भा०द०वि०।

उक्त अपराधिक इतिहास से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध कई संगीन मामले दर्ज हैं।

इसके अतिरिक्त कई सनहा भी दर्ज हैं :-

1. पतरातू (भुरकुण्डा) थाना सनहा संख्या-17/2023, दिनांक-19.06.2023,
2. पतरातू(भुरकुण्डा) थाना सनहा संख्या-20/2023, दिनांक-23.06.2023, एवं
3. पतरातू (भुरकुण्डा) थाना सनहा संख्या-21/2023, दिनांक-25.06.2023,

जिसमें इनके उपर व्यावसायियों एवं ठिकेदारों इत्यादि को धमकाने और रंगदारी मांगने की सूचना दर्ज है। तथा ये भी अंकित है कि विपक्षी श्रीवास्तव गिरोह का सक्रिय सदस्य है तथा भयादोहन करने व रंगदारी मांगने का कार्य करता है। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इनके प्रभाव क्षेत्र में इस संगठन का लोगों के बीच इतना खौप बना हुआ है कि इन लोगों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है और न ही गवाही देने के लिए हिम्मत जुटा पाता है, जिसके कारण इनके द्वारा क्षेत्र में आसानी से घटना को अंजाम दिया जाता है। ये जमानत पर मुक्त होते ही अपनी दुगुनी उर्जा के साथ अपराधिक कृत्यों में शामिल हो जाता है।

असामाजिक तत्व की परिभाषा झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के धारा के 2(d) में दी गयी है जिसके अनुसार :-

"Anti-social element" means a person who-

- (i) either by himself or as a member of or leader of a gang, habitually commits or attempts to commit or abets the commission of offences punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code; or
- (ii) habitually commits or abets the commission of offences under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956;

- (iii) who by words or otherwise promotes or attempts to promote, on grounds of religion, race, language, caste or community or other grounds whatsoever, feelings of enmity or hatred between different religions, racial or language groups or castes or communities; or
(iv) has been found habitually passing indecent remarks to, or teasing women or girls; or
(v) who has been convicted of an offence under sections 25, 26, 27, 28 or 29 of the Arms Act of 1959.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य 1984 में habitual अभिव्यक्ति की व्याख्या की गई है।

"Habitual means a thread of continuity stringing together similar repetitive acts and not some isolated, individual and "dissimilar" acts. The expression "habitually" means "repeatedly" or "persistently"

उपर उल्लेखित विपक्षी के अपराधिक इतिहास से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष गैंग के सदस्य के रूप में IPC Chapter XVI & XVII के अपराधों को habitually commit करते हैं। तथा ठेकेदारों से रंगदारी वसूलना तथा उसके लिए भयादोहन करने का कार्य करते हैं। पतरातू (भुरकुण्डा) थाना काण्ड संख्या-318/2019 के दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनके उपर देशी पिस्तौल एवं गोली के साथ पकड़े जाने का गंभीर आरोप है। ये वर्तमान में माननीय न्यायालय (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामगढ़) से जमानत पर मुक्त है।

अतः a thread of continuity stringing together similar repetitive acts हैं। और यदि इसमें कोई भी gap apparent प्रतीत होता है तो वो प्रायः इसलिए है कि विपक्षी उस दौरान न्यायिक हिरासत में था। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कारण पृच्छा अथवा बहस में इसके विपरीत कोई दलील या साक्ष्य भी नहीं दिया गया है। अतः निःसंदेह Sec 2(d) के आलोक में विपक्षी असामाजिक तत्व है।

उपर उल्लेखित तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी के "movements or acts in the district or any part thereof are causing or calculated to cause alarm, danger or harm to persons or property; जो धारा 3(1) (b) (i) के शर्तों को भी पूरा करता है।

अपराधिक इतिहास और दर्ज सनहा से स्पष्ट है कि "that there are reasonable grounds for believing that he is engaged or about to engage, in the district or any part thereof, in the commission of any offence punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code, " जो 3(1) (b) (ii) की शर्तों को भी पूरा करता है।

अतः विद्वान् सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा बहस के दौरान दिये गये मंतव्य एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा से सहमत होते हुए विधि-व्यवस्था/लोक शांति बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कुख्यात अपराधकर्मी संजीत डोम उर्फ सुजीत राम, पे०-स्व० अर्जुन डोम, सा०-बुधबाजार, थाना-पतरातू (भुरकुण्डा), जिला-रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 के अध्याय-02 की धारा-3(3) के तहत निम्न आदेश दिया जाता है :-

1. अभियुक्त को 06 (छः) महीने के लिए रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से **निष्कासन (जिला बदर)** का आदेश दिया जाता है। अभियुक्त आदेश पारित करने के 24 घंटे के भीतर जिले की सीमा को छोड़ देंगे एवं 06 (छः) माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश नहीं करेंगे।
2. यदि कोई अनुज्ञप्ति (Licence) धारित शस्त्र है तो अविलम्ब उसे स्थानीय थाने में जमा करायेंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु समझा जाय। इस आदेश का उल्लंघन झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 तथा भारतीय दण्ड संहिता, इत्यादि के अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा। आदेश की प्रति अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को भेजें। इसी आदेश के साथ वाद निस्तार किया जाता है।

Chandan
11/6/22

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।